प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन आर्थिक सेवाओं (राजस्व क्षेत्र) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को दर्शाता है। इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, आबकारी, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों के लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2013-14 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।